छ.ग. प्रदेश कँवर समाज विकास समिति, टाटीबंध, रायपुर

प्रदेश कार्यालय : कंवर भवन, अयप्पा मंदिर के पास, उदया सोसायटी, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक : 4344

अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष	सह-सचिव
श्री हरवंश सिंह मिरी 98261-20342	श्री नकुल चंद्रवंशी 7987774020	श्री बसंत दीवान 7987171001	श्रीमती धनेश्वरी कंवर 9340081014 श्री कुंज बिहारी सिंह 9406079123

उपाध्यक्ष - बिलासपुर संभाग
श्रीमती सविता साय
9329444014

उपाध्यक्ष - सरगुजा संभाग
श्री उपेन्द्र कुमार सिंह
8223993773

उपाध्यक्ष - रायपुर संभाग
श्री थान सिंह दीवान
9926944647

उपाध्यक्ष - दुर्ग संभाग
श्री हरिराम पुजेरी
7587724650

उपाध्यक्ष - बस्तर संभाग
डॉ. संदीप ठाकुर
7697133328

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य
श्री महिपाल सिंह कंवर
9425590727
श्री टीकाराम कंवर
9425245161
श्री सनमान सिंह दीवान
9575257715
श्री शिवनारायण सिंह
7874588014
श्री भारत सिंह दीवान
8085588897
श्री दशरथ पैकरा
9424215687
श्री मनोज चंद्रवंशी
8120780124
सुश्री राजकुमारी दीवान
9893750702
श्री वृजराम पैकरा
7697078808
श्री संदीप कुमार पैकरा
9406368262

क्रमांक – 13/छ.ग.कं.स.वि.स./2022 रायपुर, दिनांक 30/ 12/2022

प्रति,

तहसीलदार महोदय,
तहसील–रायपुर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी) समाज विकास समिति, रायपुर को ग्राम–लाभाण्डी, प.ह.नं. 65, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर में आबंटित भूमि के प्रीमियम एवं भू–भाटक जमा पश्चात् चालान की मूलप्रति जमा करने बाबत्।

****

विषयांतर्गत निवेदन है कि न्यायालय कलेक्टर रायपुर, जिला–रायपुर के प्रकरण क्रमांक 21 अ/59 वर्ष 2022–23 आदेश दिनांक 31.10.2022 अनुसार ग्राम–लाभाण्डी, प.ह.नं. 65, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर की भूमि खसरा नंबर 706/1 रकबा 2.651 हे. में से 7500 वर्गफुट भूमि छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी) समाज विकास समिति, टाटीबंध, रायपुर को आबंटित हुई है एवं उक्त आदेश के परिपालन में न्यायालय कलेक्टर रायपुर के आदेशानुसार पंजीकृत सामाजिक संस्था को भूमि आबंटन के संशोधित दर 15 प्रतिशत अनुसार प्रब्याजी राशि रू. 6,95,258/– एवं भूभाटक राशि रू. 1,043/– चालान के माध्यम से शासन के मद में क्रमशः चालान क्रमांक जे–154092770 एवं जे–146953798 दिनांक 30.12.2022 को जमा की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार मूल चालान की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है। कृपया कर आबंटित भूमि का पट्टा निष्पादित करने एवं राजस्व प्रलेख में आवेदक संस्था का नाम दर्ज करने की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(हरवंश सिंह मिरी) 30/12/22
अध्यक्ष

क्रमशः..02..

छ.ग. प्रदेश कँवर समाज विकास समिति, टाटीबंध, रायपुर

प्रदेश कार्यालय : कंवर भवन, अयप्पा मंदिर के पास, उदया सोसायटी, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक : 4344

अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष	सह-सचिव
श्री हरवंश सिंह मिरी 93261-20342	श्री नकुल चंद्रवंशी 7987774020	श्री बसंत दीवान 7987171001	श्रीमती धनेश्वरी कंवर 9340081014 श्री कुंज बिहारी सिंह 9406079123

उपाध्यक्ष - बिलासपुर संभाग
श्रीमती सविता साय
9329444014

उपाध्यक्ष - सरगुजा संभाग
श्री उपेन्द्र कुमार सिंह
8223937733

उपाध्यक्ष - रायपुर संभाग
श्री थान सिंह दीवान
9926844647

उपाध्यक्ष - दुर्ग संभाग
श्री हरिराम पुजेरी
7587724850

उपाध्यक्ष - बस्तर संभाग
डॉ. संदीप ठाकुर
7697133328

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य
श्री महिपाल सिंह कंवर
9425590727
श्री टीकाराम कंवर
9425245161
श्री सनमान सिंह दीवान
9575257715
श्री शिवनारायण सिंह
7974588014
श्री भरत सिंह दीवान
8085588897
श्री दशरथ पैकरा
9424215687
श्री मनोज चंद्रवंशी
8120780124
सुश्री राजकुमारी दीवान
9893750702
श्री बृजराम पैकरा
7697078800
श्री संदीप कुमार पैकरा
9406368282

पृ. क्र.–14/छ.ग.कं.स.वि.स./2022 रायपुर, दिनांक 30/ 12/2022

प्रतिलिपि :–

(1) कलेक्टर महोदय, जिला–रायपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवेदक संस्था के नाम से आबंटित भूमि का पट्टा निष्पादित किये जाने हेतु सादर प्रस्तुत।

(2) अपर कलेक्टर महोदय, जिला–रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रस्तुत।

(3) संयुक्त कलेक्टर एवं भू–आबंटन अधिकारी, जिला–रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रस्तुत।

(4) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यालय तहसीलदार, रायपुर जिला–रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रस्तुत।

अध्यक्ष

Rev. H & M.C.P. & Barar (B.L.) **Original/Duplicate/Triplicate**

Subsidar Rule 19 & 23 Under Treasury Rule 10

Challan Only Paid in to the **State Bank of India Main Branch, Raipur Treasury**

(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकल जैसा कायदा हो पेश करना चाहिये)**(Code No.-07002)**

(To be presented at the Treasury single or duplicate or triplicate as the case may be)

By whome brought कौन लाया	On what Account किस बाबत्	Under Rupees In words कितने रूपयों के अंदर	Amount रकम Rs.	P.
अध्यक्ष, छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी) समाज विकास समिति, जिला रायपुर (छ.ग.)	प्रब्याजी (प्रीमियम) प्र.क्र–21/अ–58 वर्ष 2022–23, आदेश दिनांक 31.10.2022 ग्राम–लाभाण्डी, प.ह. नं.–65 तहसील– रायपुर, जिला–रायपुर, खसरा नम्बर 706/1 का भाग, रकबा 7500 वर्गफुट	6,95,259	6,95,258	00
		Total मीजान	6,95,258	00

In Words- **Six Lakhs NinetyFive Thousand Two Hundred FiftyEight Rupees Only**

Head Of Revenue / Major head / Detailed head		Details तफसील		
Head Of Revenue	0029 – भू–राजस्व 800 – अन्य प्राप्तियाँ			
Major head	0014 – नजूल भूमि से प्राप्त प्रब्याजी	Notes नोट		
Detailed head		Cash नगदी		
		Total मीजान		

Certified that the amount shown above have been entered in departmental Registered to the head of revenue deposit.

Date :- ____/____/2022

W.B.N. [signature] 10/11

Departmental Officer

Tahsil Office/Raipur

[signature]

सचिव

Signature of Tenderer

छ.ग. कंवर समाज विकास समिति

दाखिल करने वाले के द. टाटीबंध

अटल चौक के सामने, टाटीबंध

रायपुर (छ.ग.) 492 001

खजाने में इस्तेमाल के लिए FOR USE IN TREASURY

Examined	Received	Entered no.
Inital of Accountant	Rs (in figures) - 695258/- Rs (in words) - Six Lakhs NinetyFive Thousand Two Hundred FiftyEight Rupees Only. Signature of Teasurer	Signature of Accountant

Date ....../......../20......... Treasary officer Seal

भारतीय स्टेट बैंक-13105

शासकीय व्यवसाय शाखा, रायपुर (छ.ग.)

30 DEC 2022

KRISHNA KUMAR GUPTA

P.F.-4227581

अन्तरण / नगद

J-1540927770

. H & M.C.P. & Barar (B.L.)

Original/Duplicate/Triplicate

Subsidar Rule 19 & 23 Under Treasury Rule 10

Challan Only Paid in to the **State Bank of India Main Branch, Raipur Treasury**

(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकल जैसा कायदा हो पेश करना चाहिये)**(Code No.-07002)**

(To be presented at the Treasury single or duplicate or triplicate as the case may be)

By whome brought कौन लाया	On what Account किस बाबत्	Under Rupees In words कितने रूपयों के अंदर	Amount रकम Rs.	P.
अध्यक्ष, छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी) समाज विकास समिति, जिला रायपुर (छ.ग.)	भू–भाटक प्र.क्र–21/अ–58 वर्ष 2022–23, आदेश दिनांक 31.10.2022 ग्राम–लाभाण्डी, प.ह. नं.–65 तहसील– रायपुर, जिला–रायपुर, खसरा नम्बर 706/1 का भाग, रकबा 7500 वर्गफुट	1,044	1,043	00
		Total मीजान	1,043	00

In Words- **One Thousand FortyThree Rupees Only**

Head Of Revenue / Major head / Detailed head		Details तफसील		
Head Of Revenue	0029 – भू–राजस्व	Notes नोट		
	101 – भू–राजस्व कर	Cash नगदी		
Major head	0005 – भू–राजस्व पर अधिभार			
Detailed head		Total मीजान		

Certified that the amount shown above have been entered in departmental Registered to the head of revenue deposit.

J-14615396

Date :- ____/____/2022

10/11

W.B.N. **Departmental Officer**

Tahsil Office/Raipur

सचिव

छ.ग. कंवर समाज विकास समिति

Signature of Tenderer

दाखिल करने वाले के हस्ताक्षर

अध्यक्ष मंदिर के सामने, टाटीबंध रायपुर (छ.ग.) 492 001

खजानें में इस्तेमाल के लिए FOR USE IN TREASURY

Examined	Received Rs (in figures) 1043/- Rs (in words) - One Thousand FortyThree Rupees Only.	Entered no.
Inital of Accountant	Signature of Teasurer	Signature of Accountant
Date ..../......./20.......	Treasary officer	Seal

भारतीय स्टेट बैंक-13105
10 DEC 2022
KRISHNA KUMAR GUPTA P.F.-4227581

न्यायालय कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

(प्रकरण क्र.21 अ/59 वर्ष 2021–22)
ग्राम लाभाण्डी प.ह.नं. 65 तहसील रायपुर
जिला रायपुर (छ0ग0)

अध्यक्ष,
छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी)
समाज विकास समिति,
जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

छ0ग0 शासन

//आदेश //
(पारित आदेश दिनांक 31/10/2022)

आवेदक छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी) समाज विकास समिति टाटीबंध के पत्र कमांक 02/छ.ग.प्र.कं. स.वि.स./2021 रायपुर,दिनांक 12/01/2021 के द्वारा ग्राम–लाभाण्डी, प.ह.नं. 65, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 706/1 रकबा 2.651 हे. मे से 7500 वर्गफुट भूमि को सामाजिक भवन एवं अन्य सामाजिक कार्य के लिये आबंटन हेतु मांग किया गया है।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर से जॉच प्रतिवेदन मंगाया गया। प्रकरण में प्रकिया अनुरूप ईश्तहार का प्रकाशन किया गया। विभागीय अभिमत प्राप्त किया गया।

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छ0ग0 के पत्र कमांक/1814/नग्रानि/23/4/2021 रायपुर दिनांक 28.01.2021 के अनुसार ग्राम लाभाण्डी आवेदित खसरा का रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 अनुसार भू–उपयोग आवासीय, आमोद, प्रमोद एवं मार्ग है। अतः रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 में मार्ग अंतर्गत भूमि को छोड़कर सशर्त अनापत्ति प्रदान किया गया है। रा.नि. के स्थल जांच प्रतिवेदन में आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजन के अंतर्गत होना पाया गया हैं।

जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.09.2022 को आहूत की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आवेदित भूमि ग्राम–लाभाण्डी, प.ह.नं.– 65, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 706/1 रकबा 2.651 हे. मे से 7500 वर्गफुट भूमि घांस दर्ज को शासन के निर्देशानुसार 15 प्रतिशत प्रावधानित दर पर आबंटित किये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के पत्र कमांक 4–66/सात–1/2020 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 16.10.2020 के अनुसार पंजीकृत सामाजिक संस्था को भूमि आवंटन के संशोधित दर 15 प्रतिशत के अनुसार प्रब्याजी :– 46,35,050/–रू. का 15 प्रतिशत = 6,95,258/–रू., एवं भू–भाटक वर्तमान सामान्य भू–भाटक 0.30 प्रतिशत का 50 प्रतिशत वार्षिक भू–भाटक :– 695258X0.30 प्रतिशत = 2,086/–रू. का 50 प्रतिशत = 1,043/–रू.।

अतः शासन के उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में उपरोक्तानुसार आंकलित राशि एकमुश्त उचित शीर्ष में जमा कराये जाने के शर्त के साथ आवेदक सामाजिक संस्था को आवेदित भूमि ग्राम–लाभाण्डी, प.ह.नं.– 65, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 706/1 रकबा 2.651 हे. मे से 7500 वर्गफुट भूमि को निम्नांकित सामान्य एवं विशेष शर्तो के अध्याधीन आबंटित किया जाता है।

......02......

कलेक्टर
रायपुर

Scanned with CamScanner

[illegible] विशेष शर्तें निम्नानुसार रहेंगे :–

[illegible] भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा । यदि ऐसा किया [illegible] है, तो यह आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा आबंटिती को अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी ।

2) भूमि या उसके किसी भाग का ऊपर उल्लेखित उपयोग के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को उपयोग करने हेतु नहीं दिया जावेगा, उसका हस्तांतरण नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य उपयोग के लिए दिया/उपलब्ध कराया जायेगा।

3) यदि उक्त भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के लिए नहीं होता हैं या बाद में कभी बंद दिया जाता है, तो भूमि, उस पर निर्मित संपत्तियों के साथ, शासन में स्वमेव निहित हो जावेगी और आबंटिती को उसका मुआवजा देय नहीं होगा और न ही भूमि में लगाई गई कोई भी लागत या राशि वापस होगी।

4) भूमि के किसी भी उपयोग या उस पर किसी भी निर्माण के पूर्व, संबंधित विभागों से यथा लोक निर्माण विभाग, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश योजना इत्यादि से अनापत्ति प्राप्त करना/औपचारिकताओं की पूर्ति कराना अनिवार्य होगा।

5) उक्त भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार ही किया जा सकेगा। किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं हो सकेगा। यदि भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किए जाने पर अनाधिकृत कब्जेदार मानकर शासन में निहित कर ली जावेगी।

6) शासन के प्रतिनिधि/अधिकृत व्यक्ति कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन निरीक्षण करने के लिए आबंटित भूमि एवं उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

7) भूमि के संबंध में किसी भी माननीय न्यायालय के आदेश यदि कोई हो तो आवेदक को उसका पालन करना आवश्यक होगा।

8) निर्माण कार्य 02 वर्ष के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

9) उपरोक्त उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं होने की स्थिति में अनुमति पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

कलेक्टर
रायपुर

रायपुर, दिनांक 31/10/2022

पृ0कमांक/ 268 /भू–आबंटन/2022

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

.......03......

Scanned with CamScanner